

दिनांक
23-4-2025

फर्द अहकाम

2025/147

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
हरगिन्द्र बनाम जसवीर सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या / 08 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.03.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.03.2025 को पेश हो।	
17.3.25	<p>जज का कार्य स्थान होने पर पत्रावली दिनांक 21.5.2025 को पेश हो।</p>	
20.3.2025	<p>वकील जसवीर सिंह ने प्रार्थना-पत्र सिवाल पेम्पी पेश करते पर प्रजावली को पेम्पी से लिया गया। प्रकुलार फरिक्तेन उपखण्ड प्रजावली सिवाल ने फरिक्ते वकील राजेरा देवेरा उपखण्ड आकर देवेरा दावा पेश किया जिसे शामिल फरिक्ते किया गया। प्रजावली वाकते स्टेर जायस करिक्ते वाकीफ 21.5.2025 को पेश हो।</p>	<p>पहचान करी</p>
21.4.2025	<p>प्रकुलार फरिक्तेन उपखण्ड (PU) माल 22 फरिक्ते है। प्रजावली स्टेर जायस आकर जज कक्ष दिनांक 23.4.2025 को पेश हो</p>	<p>Amandeep Kaur</p>
23.4.2025	<p>प्रकुलार फरिक्तेन उपखण्ड वरख सुमीशरी प्रजावली का अन्व लोकन किया गया प्रजावली पर उपखण्ड फरिक्ते व वाकी प्रजावली की सरकार के आचार पर जा कर डिक्री किया जाता है। पूर्ण विकरण सादर सिवपि अलग से लिखपा जाकर वाकिल फरिक्ते किया जाये प्रजावली वाकते के का की जाकर मास वाकीव तकमिल जायस वाकिल बकर हो</p>	<p>Signature Aman Deep Kaur</p> 